न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारी शक्तिसिंह भाटी आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या :— 118/2017 प्रार्थना पत्र
दायर दिनांक :— 20.07.2017
निर्णय दिनांक :— 27.06.2018

अनवान

1. भगवानगर पिता शिवगर गुसाई सोनियाणा तहसील रेलमगरा

प्रार्थी

बनाम

1. रतनलाल पिता अमरचन्द जाट सोनियाणा तहसील रेलमगरा
2. माधवलाल पिता जवाहरमल जाट सोनियाणा तहसील रेलमगरा
3. बद्रीलाल पिता जवाहरमल जाट सोनियाणा तहसील रेलमगरा
4. मदनलाल पिता जवाहरमल जाट सोनियाणा तहसील रेलमगरा
5. चांदी पत्नि जवाहरमल जाट सोनियाणा तहसील रेलमगरा
6. एकलिंग पिता अमरा जाट सोनियाणा तहसील रेलमगरा
7. रतनलाल पिता अमरा जाट सोनियाणा तहसील रेलमगरा
8. दला पिता कालू चमार सोनियाणा तहसील रेलमगरा
9. लहरूगर पिता घासीगर गुसाई सोनियाणा तहसील रेलमगरा (फौत)

9/1. नाथुगिरी पिता लहरूगर गुसाई
9/2. आशुगिरी पिता लहरूगर गुसाई
9/3. हजारीगिरी पिता लहरूगर गुसाई

10 . राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार महोदय, रेलमगरा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 2010

निर्णय

प्रार्थी की ओर से जरीये अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 2010 के तहत् प्रस्तुत किया कि ग्राम सोनियाणा पटवार क्षेत्र पछमता तहसील रेलमगरा की सीमा मे प्रार्थी के नाम की आराजी संख्या 732रकबा 01—17 बीघा आराजी संख्या 733 रकबा 1—12 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 03—09 बीघा राजस्व रेकार्ड मे दर्ज होकर प्रार्थी का ही आधिपत्यउपयोग उपभोग

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)

चला आ रहा है। प्रमाण मे नकल जमाबंदी, नक्शाट्रेस वर्तमान की प्रमाणित प्रति साथ सलंग्न है प्रार्थी की आधिपत्यशुदा उक्त आराजी संख्या 732,733 मे आने जाने हेतू सोनियाणा से छतरीखेडा जाने वाले मुख्य रास्ते के दक्षिण दिशा की तरफ विपक्षी संख्या 1 की आराजी संख्या 749 स्थित है उसकी पूर्वी पाली से होकर आराजीसंख्या 739 जो विपक्षीगण संख्या 2 से लगायात 7 के नाम पर राजस्व रेकार्ड मे दर्ज अंकित है के उत्तरी पाली से होकर आराजी संख्या 737 विपक्षी संख्या 8 के नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज अंकित है उकत आराजी के उत्तरी दिशा की पाली पर होकर आराजी सख्या 736 जो विपक्षी संख्या 9 के नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज अंकित है उक्त आराजीयात के भी उत्तरी पाली पर होकर प्रार्थी अपनी आराजी संख्या 732 व 733 में आते जाते रहे है अर्थात् मुख्या रास्ते से विपक्षी संख्या 1 की आराजी संख्या 749 की पूर्वी पाली से प्रवेश करते हूए आराजी संख्या 739, 737 व 736 की उत्तरी पाली पर होते हुऐ अपनी आराजी संख्या 732 व 733 में आते जाते हल बैल, बैलगाडी ट्रेक्टर इत्यादि साधन लाते ले जाते रहे है जो प्रार्थी अपने बाप दादाओ के समय से ही उक्त रास्ते को वर्षो से उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। प्रमाण में विपक्षीगण की आराजी संख्या 749, 739, 737 ,736 की जमाबंदी सम्वत् 2069 से 2072 की प्रमाणित प्रतियां व नक्शाट्रेस साथ सलंग्न है विपक्षी संख्या 2 से लगायत 9 भी सोनियाणा से छत्तरीखेडा जाने वाले मुख्ये रास्ते के दक्षिण दिशा की तरफ स्थित विपक्षी संख्या 1 की आराजी संख्या 749 की पूर्वी पाली से प्रवेश करते हुऐ अपनी आराजीयातो में प्रवेश करते चले आ रहे है एवं इसी रास्ते का उपयोग उपभोग वर्षो पूर्व से करते चले आ रहे है प्रार्थी अपनी आराजी संख्या 732, 733 में आने जाने, हल बैलगाडी, ट्रेक्टर इत्यादि लाने ले जाने एवं काश्त करने हेतू विपक्षीगण संख्या 1 की आराजी संख्या 749 की पूर्वी दिशा की पाली से होते हुऐ आराजी संख्या 739 जो विपक्षी संख्या 2 से लगायत 7 की उत्तरी पाली से प्रवेश होकर आराजी संख्या 737 जो विपक्षी संख्या 8 की उत्तरी पाल से होकर आराजी संख्या 736 जो विपक्षी संख्या 9 की आराजीयात के उत्तरी दिशा की पाली से होकर अपनी आराजी संख्या 732, 733 में प्रवेश करता रहा है एवं रास्ते के रूप में उपयोग उपभोग कर हल बैल, बैलगाडी ट्रेक्टर आदि काश्त करने हेतु साधन वर्षो पूर्व से लाता ले जाता रहा है जो पूर्वजो के समय से ही लाता ले जाता रहा है एवं प्रार्थी उक्त कदीमि रास्ते का उपयोग उपभोग निरन्तर निर्वघ्न रूप से साधिकार पूर्वक करता चला आ रहा है कि आराजी संख्या 749 जो विपक्षी संख्या 1 के नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज अंकित है एवं अपने कब्जे में होने से विपक्षी संख्या 1 जबरन अपने भुजबल एवं धनबल के आधार पर प्रार्थी को उक्त रास्ते के उपयोग उपभोग मे आये दिन बाधा रूकावट कारित करता रहता है तथा आराजी संख्या 749 की पूर्वी दिशा की पाली पर जो उत्तर से दक्षिण आरजी संख्या 749 की लम्बाई तक

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

जो रास्ता 15 फीट चौडे रास्ते का उपयोग उपभोग करता है एवं जिसक आवश्यकता है तथा जो 15 फीट चौडा मौके पर रास्ता विद्यमान है उसे विपक्षीगण संख्या 1 ने आज से करीब 10 दिन पूर्व बाड कर बंद कर दिया है। प्रार्थी को अपनी आराजी संख्या 732, 733 में आने जाने हेतु उक्त कदीमि रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नही होते हूऐ भी विपक्षीगण द्वारा जलील एवं परेशान कर रखा है एवं आज से करीब 10 दिन पूर्व उक्त रास्ता बंद कर देने से प्रार्थी अपनी आराजी संख्या 732, 733 में आने जाने से वंचित हो रहा है। विपक्षी संख्या 1 ाके प्रार्थी द्वारा उक्त रास्ता बंद करने से मना किया तो विपक्षीगण संख्या 1 द्वारा प्रार्थी को राजस्व रेकार्ड में उक्त रास्ता दर्ज नही होना बताते हुऐ बंद कर दिया गया तथा कंहा कि तुम्हारा कोई रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज नहीं है इसलिऐ हम तुम्हे यहां से नही निकलने देंगे। इसी अनूरूप विपक्षीगण संख्या 2 से लगायत 9 ने भी प्रार्थी का उक्त रास्ता बंद कर देने से प्रार्थी अपनी आराजीयात मे आने जाने से वंचित है तथा अन्य विपक्षीगण को प्रार्थी द्वारा रास्ते के उपयोग उपभोग बाबत् कहां गया है तेा विपक्षीगण संख्या 2 से लगायात 9 ने कहां कि विपक्षी संख्या 1 रतनलाल द्वरा उक्त रास्ता बंद कर देने से हम भी रास्ता बंद कर रहे है जबकि प्रार्थी की अपनी उक्त आराजीयातों मे आने जाने हेतू वर्षो पूर्व से उक्त रास्ता ही एकमात्र रास्ता रहा है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थी को अपनी आराजीयात मे आने जाने हेतू अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता विद्यमान नही था एव न ही है प्रार्थी को अपने आराजी संख्या 732,733 मे आने जाने हल बैलगाडी, ट्रेक्टर लाने ले जानेहेतू भूमि के काश्त करने इत्यादि हेतू विपक्षीगण संख्या 1 की आराजी संख्या 749 के पूर्वी पाली पर उत्तर से दक्षिण तक जो आराजी संख्या 749 की लम्बाई है तक व आराजी संख्या 739,737,736 की उत्तरी दिशा की पाली उक्त आराजीयातों की सम्पूर्ण लम्बाई तक 15 फीट चौडे रास्ते की सख्त आवश्यकता है जो प्रार्थी के आराजी संख्या 732 के उत्तरी पश्चिमी कोने तक है। अर्थात आराजी संख्या 749 की पूर्वी पाली उत्तर से लगायात दक्षिण तक एवं आराजी संख्या 739,737,736 की उत्तरी पालियों पर होते हुऐ उक्त आराजीयातों से 15 फीट चोडा रास्ता प्रार्थी की आराजी संख्या 732 के उत्तरी पश्चिमी कोने तक आवश्यकता है जिसे राजस्व रेकार्ड मे दर्ज कराया जाना एव रास्ता प्राप्त करने का कानूनन अधिकारी है जिससे प्रार्थी की और से उक्त प्रार्थना पत्र आप न्यायालय मे प्रस्तुत किया जा रहा है प्रार्थी को उक्त रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है तथा प्रार्थी उक्त रास्ते के बिना अपने खेत के उपयोग उपभोग कृषि काश्त से वंचित हो रहा है । प्रार्थी प्रार्थना पत्र मे उपर वर्णित जो रास्ता है उसे प्राप्त करने का अधिकारी है। जिसे दिलाया जाना न्यायहित मे नितान्त आवश्यक है उसके उपरान्त भी न्यायालय उक्त रास्ते के एवज मे जो भी प्रतिकर न्यायालय आप द्वारा प्रार्थी को विहित करने का आदेश बनाया जायेगा उस आदेश की पालना प्रार्थी करने को तैयार एव

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

तत्पर है। उक्त कदिमी रास्ता जो प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 3 मे वर्णित किया गया है उसे राजस्व रेकार्ड मे एव नक्शाट्रेस मे रास्ते के रूप मे इन्द्राज कराया जाना न्यायहित मे नितान्त आवश्यक है जिस निमित्त प्रार्थी की और से उक्त प्रार्थना पत्र आप न्यायालय में प्रस्तुत हैं विपक्षीगण द्वारा प्रार्थी की आराजी संख्या 733,732 मे आने जाने हेतू उक्त रास्ते से आज से करीब दस दिन पूर्व प्रार्थी को रोक दिया गया एंव प्रार्थी द्वारा उक्त रास्ते से निकलने पर विपक्षीगण द्वारा लडाई झगडा करने एव मारपीट करने पर उतारू होने से प्रार्थना पत्र का हेतूक आज से दस दिन पूर्व उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।

प्रार्थी को अपनी आराजी संख्या 733,732 मे हल बैलगाडी, ट्रेक्टर आदि लाने ले जाने के लिए विपक्षी संख्या 1 की आराजी संख्या 749 की पूर्वी दिशा की पाली पर सम्पूर्ण लम्बाई मे एवं विपक्षी संख्या 2 से लगायात 7 की आराजी संख्या 739 की उत्तरी पाली पर सम्पूर्ण लम्बाई तक एवं विपक्षी संख्या 8 की आराजी संख्या 737 की उत्तरी पाली पर सम्पूर्ण लम्बाई तथा विपक्षी संख्या 9 की आराजी संख्या 736 की उत्तरी दिशा की पाली पर सम्पूर्ण लम्बाई तक 15 फीट चौडा रास्ता प्रार्थी की आराजी संख्या 732 के उत्तरी पश्चिमी कोने तक सम्पूर्ण लम्बाई मे स्थित है उसे विपक्षीगण से दिलाया जाने का आदेश बक्षाया जावे उक्त रास्ते को राजस्व रेकार्ड एवं नक्शाट्रेस मे इन्द्राज कराया जावे। विकल्प मे निवेदन है कि न्यायालय यदि विपक्षीगण को प्रतिकर राशि दिलाया जाना न्यायोचित समझता है तो आप न्यायालय द्वारा आदेशित प्रतिकर की राशि प्रार्थी अदा करने को तैयार है , तथा प्रतिकर राशि जमा होने पर उक्त रास्ता राजस्व रेकार्ड मे एव नक्शाट्रेस मे इन्द्राज कराया जावे।

इस पर पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई विपक्षीगण को जरिये सूचना तलब किया गया विपक्षीगण संख्या 1व 2 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे तथा विपक्षी संख्या 3,4,5,6,8 व 9 के वारिसान की ओर से स्वीकारात्मक जवाब प्रस्तुत किया तथा विपक्षी संख्या 7 को जवाब हेतु पर्याप्त अवसर दिये गये बावजूद भी जवाब प्रस्तुत नहीं करने से जवाब का अवसर बन्द किया गया तथा पत्रावली राजस्व न्याय आपके द्वार 2018 के तहत् राजस्व लोक अदालत/कोर्ट कैम्प पछमता पर रखी गई। पत्रावली का अवलोकन किया जाकर तहसीलदार रेलमगरा द्वारा मौका रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार रेलमगरा द्वारा अपनी मौका रिपोर्ट मे आराजी नम्बर 732 व 733 में आने जाने हेतु प्रार्थी द्वारा मांगा गया रास्ता नितांत आवश्यक है कि केवल सुविधा के लिये नहीं है। प्रार्थी के खेत पर जाने आने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है। वैकल्पिक या प्रस्तावित रास्ते की स्वीकृति करते समय निम्नांकित प्रस्तावित रकबा की फसल प्रभावित होगी। प्रार्थी के खेत मं आने जाने हेतु निकटतम छोटे से छोटा रास्ता है,

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

रास्ता प्रस्तावित करने पर रास्ते में कुंआ आ. नं. 722 होने से अन्य रास्ता प्रस्तावित प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अनुसार किया गया। प्रस्तावित रास्ते की चौड़ाई दो गट्ठा रखते हुए आ. नं. 749 में से 0–04–10 बिस्वा आ.नं. 739 में से 0–01–10 बिस्वा आ. नं. 974/737 में से 0–02–04 बिस्वा आ.नं. 736 में से 0–01–12 बिस्वा आ.नं. 735 में से 0–01–12 बिस्वा कूल प्रस्तावित रास्ते का रकबा 0–11–08 बिस्वा भूमि प्रभावित होगी। उक्त मौका रिपोर्ट प्राप्त हूई जिस पर प्रार्थी ने उपस्थित हो सहमति जाहिर की विपक्षीगण अनुपस्थित रहे। पत्रावली एवं उपल्बध पटवारी हल्का की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया जिससे जाहिर है कि प्रार्थी को उक्त रास्ता की नितांत आवश्यकता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए का स्वीकार किया जाकर ग्राम सोनियाणा के प्रार्थी की आराजी संख्या 932,933 में आने जाने हेतु प्रस्तावित रास्ते की चौड़ाई दो गट्ठा रखते हुए आ. नं. 749 में से 0–04–10 बिस्वा आ.नं. 739 में से 0–01–10 बिस्वा आ. नं. 974/737 में से 0–02–04 बिस्वा आ.नं. 736 में से 0–01–12 बिस्वा आ.नं. 735 में से 0–01–12 बिस्वा कूल प्रस्तावित रास्ते का रकबा 0–11–08 बिस्वा भूमि नक्शा ट्रेस में प्रस्तावित अनुसार उक्त रास्ते की भूमि को बिलानाम रास्ता कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा प्रार्थी उक्त प्रस्तावित रास्ते की भूमि का वर्तमान पंजीयन दर अनुसार 2 गूना राशि प्रार्थी से वसूल कर विपक्षीगण को अपने प्रभवित हुऐ हिस्से अनुसार भूगतान की कार्यवाही की जावें। पालनार्थ तहसीलदार रेलमगरा को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.06.2018 को कैम्प पछमता पर सुनाया गया।

(शक्तिसिंह भाटी)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा